



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052026-272204
CG-DL-E-02052026-272204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]
No. 301]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित)

कार्यकारिणी आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2026

मिसिल सं. 17-1(नोटिफिकेशन)/2023.पीसीआई प्रशासन/25/2025.प्रशासन.— भेषजी अधिनियम 1948 की उपधारा 15 की आवश्यकतानुसार उपधारा 12 के अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् की निम्नलिखित गोष्ठी में जो प्रस्ताव अनुमोदित महाविद्यालयों शीर्षक के अंतर्गत पारित किये हैं घोषणा करती है कि सभी स्टैकहोल्डरस जैसे संस्थान, परीक्षा प्राधिकरण, साधारण जनता, विद्यार्थी इत्यादि की सूचना हेतु परिषद् की वेबसाइट पर डाले गये हैं –

क्रम	गोष्ठी संख्या	गोष्ठी की तिथि
1.	119	28 फरवरी, 2025
2.	120	31 मई और 1 जून, 2025
3.	121	22 और 23 नवम्बर, 2025

प्रतिमा तिवारी, उपसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./69/2026-27]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(Constituted under Pharmacy Act, 1948)

EXECUTIVE ORDER

New Delhi, the 29th April, 2026

Ref. No. 17-1(Notification)/2023-PCI ADMIN/25/2025-ADMIN.— “As required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948, the declarations under section 12 made by resolutions passed at the following meeting of the Central Council are posted on Council’s website under heading “approved colleges” for information of all the stakeholders i.e. institutions, Examining Authorities, general public, students etc.”

<u>S.No.</u>	<u>Meeting No.</u>	<u>Date of meeting</u>
1.	119	28 th Feb., 2025
2.	120	31 st May and 1 st June, 2025
3.	121	22 nd & 23 rd November, 2025

PRATIMA TIWARI, Dy. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./69/2026-27]